# कार्यालय जनपद न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई

## विज्ञप्ति

जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई द्वारा अपने पत्र संख्या 326/ओ0एस0डी0 कोविड–19 दिनांकित 13.06.2020 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि जनपद न्यायालय एवं न्यायालय परिसर, जालौन स्थान उरई कन्टेनमेंट जोन के अधीन नहीं रह गया है और इस क्षेत्र में समस्त सामान्य गतिविधियां लॉकडाउन नियमों का पालन करते हुये संचालित हो गयी है।

समस्त वादकारियों, विद्वान अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा दिये गये निर्देशों को अंगीकृत करते हुये दिनांक 16.06.2020 से जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई में न्यायिक कार्य सम्पादित किया जायेगा।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार ई0मेल districtcourtjalaun@gmail.com का प्रयोग जमानत प्रार्थनापत्र/अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र या अन्य आवश्यक प्रार्थनापत्र मय लिखित बहस प्रेषित करने हेतु किया जा सकता है। अधिवक्तागण/वादकारी के सहायतार्थ मोबाइल नम्बर 9415100757 व 9455743885 हेल्प लाइन नम्बर नियत कर बेवसाइट पर प्रकाशित किये गये हैं।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की विज्ञप्ति संख्या 7356/मेन(पी)/एडमिन ए–3 इलाहाबाद दिनांकित 31.05.2020 के अनुसार जनपद न्यायालय उरई में 30 जून 2020 तक न्यायालय समय 07:00 बजे प्रातः काल से 01:00 बजे दोपहर तक होगा, जिसमें 10:30 बजे से 11:00 बजे तक भोजनावकाश रहेगा और कार्यालय समय 06:30 बजे प्रातः से 01:30 बजे दोपहर तक रहेगा। 01 जुलाई 2020 से न्यायालय समय 10:00 बजे प्रातः से सायं 05:00 बजे तक रहेगा।

सूचना जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई की बेवसाइट, नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु, बार संघ के अध्यक्ष एवं सचिव, जिला सूचना अधिकारी, जालौन स्थान उरई को जनपद में परिचालित होने वाले प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित की जाये।

दिनांक–15.06.2020

(अशोक कुमार सिंह) 15/6
जनपद न्यायाधीश,
जालौन स्थान उरई
District Judge
Jalaun at Orai